कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

राजस्थान मृतक राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के तहत अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान किया गया है । अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का उद्देश्य मृतक आश्रित परिवार को तुरन्त राहत पहुंचाना है किन्तु ध्यान में आया है कि अधिनस्थ कार्यालयों द्वारा नियमों की भावना के विपरीत प्रकरणों का निस्तारण समय पर नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मृतक आश्रित परिवार को आर्थिक कठिनाईयों का सामना करना पडता है । अतः मृतक आश्रित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न दिशा निर्देश प्रदान किये जा रहे हैं :–

1. कार्मिक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर संस्था प्रधान कार्मिक परिवार को नियमों में निर्धारित आवेदन पत्र (प्रतिसंलग्न) आश्रित परिवार को भिजवाकर मृत्यु के **90दिवस** के भीतर पात्र आशार्थी का आवेदन करने की राय प्रदान करेगें ।
2. मृतक आश्रित परिवार द्वारा विद्यालय/कार्यालय में आवेदन करने पर निर्धारित विभागीय जांच सूची (प्रतिसंलग्न) के अनुसार प्रकरण का समुचित परिक्षण कर प्रकरण **15दिवस** की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेगें । जिसकी सूचना आवेदक को भी दी जावेगी ।
3. जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय प्रकरण का नियमों के परिपेक्ष्य में विभागीय जांच सूची अनुसार अपनी स्पष्ट अभिशंषा परिशिष्ट '1' में कर प्रकरण **15दिवस** के अन्दर अपने मण्डल कार्यालय को प्रस्तुत करेगें । प्रायः ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अपात्र आवेदकों के आवेदन पत्र स्वीकार कर नियमों के विपरीत आवेदन पत्र को अग्रेषित कर देते हैं जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है अतः जिला शिक्षा अधिकारी का दायित्व होगा कि अपात्र आवेदन का आवेदन पत्र में नियुक्ति की अभिशंषा न की जावे । तथा प्रकरण का अपने स्तर पर निस्तारण करें ।
4. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में प्रकरण प्राप्त होने की अवधि से **एक सप्ताह** के भीतर आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट अभिशंषा के साथ निदेशालय को भिजवावें ।
5. निदेशालय द्वारा प्रकरण की जांच में किसी प्रकार की कमी पायी जाती है तो उस कमी की पूर्ति हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित करने के साथ साथ आवेदक को भी सूचित किया जाता है । तदुपरान्त भी ध्यान में आया है कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय आक्षेपों की विधिवत पूर्ति किये बिना प्रकरण निदेशालय को भिजवा देते हैं । जिससे प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब होता है ।
6. शिथिलन योग्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण किये बिना तथा प्रकरण के गुणदोष पर विचार किये बिना निदेशालय को प्रकरण भिजवा दिये जाते हैं जो राज्य सरकार स्तर पर आक्षेपित होकर प्राप्त होते हैं । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि मृतक आश्रित परिवार की आर्थिक स्थिति का परिक्षण कर अपनी स्पष्ट जांच रिपोर्ट तथा अभिशंषा के साथ स्वयं प्रमाण पत्र जारी करें ।

www.rajteachers.com

7. प्रायः ध्यान में आरहा है कि अनेक जिला शिक्षा अधिकारी उनके स्तर पर वांछित प्रमाण पत्र स्वयं के हस्ताक्षरों से जारी नहीं कर केवल प्रतिहस्ताक्षर करते हैं जो प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब का कारण बनता है । अतः जो प्रमाण पत्र जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से जारी होने है उन्हें वे स्वयं अपने हस्ताक्षर से जारी करें ।
8. निदेशालय द्वारा नियुक्ति अनुमोदन कर दिये जाने के पश्चात् भी नियुक्ति अधिकारी द्वारा पदस्थापन आदेश जारी करने में अनावश्यक विलम्ब कर रहे हैं इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि आवेदक से वांछित दस्तावेज निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करें तथा तत्काल नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करें ।
9. दिनांक 30.04.2016 तक विभाग में प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 31.05.2016 तक वाहक के साथ निदेशालय को भिजवा देंवे । इस संबंध में मंडल अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारियों से प्रमाण पत्र प्राप्त कर भिजवावें कि 30.04.2016 तक प्राप्त समस्त प्रकरण भिजवा दिये गये हैं कोई भी प्रकरण अधिनस्थ कार्यालय में लंबित नहीं है । इसके पश्चात् पूर्व अवधि का प्रकरण प्राप्त होता है तो दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ।

समस्त उपनिदेशक एवं जिला शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

क्रमांकः–शिविरा/मा/साप्र/ए–4/3901/मूल/विविध/2016 दिनांकः– 13.05.2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–
1. समस्त उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम/द्वितीय
3. अनुभाग अधिकारी सिस्टम एनेलेसिस को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर ।

www.rajteachers.com

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर–:

कार्यालय आदेश :–

राजस्थान सरकार के मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के अन्तर्गत कार्मिक विभाग /राज्य सरकार, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर एवं मण्डल कार्यालयों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने के उपरान्त राज्य सरकार के आदेश कमांक ए–5(51)कार्मिक/क–2/88–I दिनांक 29–4–99 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मृतक आश्रितों की संलग्न सूची के अनुसार लिपिक ग्रेड II 72 एवं 29 सहायक कर्मचारी कुल 101 अभ्यर्थीयों की अनुकम्पात्मक नियमों के तहत नियुक्ति का अनुमोदन किया जाकर उनके नाम के आगे अंकित मण्डल में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जाता है ।

नियुक्ति अधिकारी नियुक्ति आदेश जारी करने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना सुनिश्चित करेगें :–

1– राज्य सरकार के मृतक आश्रितों में से लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी करने से पूर्व आवेदकों की शैक्षिक/प्रशैक्षिक संबंधी योग्यता के मूल प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनकी वैधता एवं मान्यता आदि की पूर्ण जॉच करें एवं योग्यता के बारे में पात्रता रखने पर ही नियुक्ति आदेश जारी करे।

राज्य से बाहर की डिग्रियों/प्रमाण पत्र के सत्यापन/वैधता एवं मान्यता के संबंध में सावधानी पूर्वक प्रत्येक प्रकरण की जॉच करेगें।

2– मृत राज्य कर्मचारियों के परिवार का कोई भी सदस्य किसी सरकारी /केन्द्र/निगम बार्ड या उपकम में कार्य ग्रहण तिथि तक नियोजित नहीं है इस हेतु अनुकम्पात्मक नियमों के नियम 5 के अनुसार शपथ पत्र आश्रित से प्राप्त करें । (मृतक की पत्नी पर यह नियम लागू नहीं होगा ।)

3– मृतक की पुत्री की नियुक्ति हेतु अनुमोदन किया गया हो तो उसके पदस्थापन के समय तक वह अविवाहित है इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करें।

4– कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश दिनांक 27.02.01 द्वारा जारी निर्देशों की पालना में मृतक के आश्रितों के पालन पोषण / भरण पोषण करने संबंधी शपथ पत्र प्राप्त करेंगे । कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 27.02..01 की पालना नहीं करने की स्थिति में नियुक्ति समाप्त की जा सकती हैं।

5– दत्तक पुत्र पुत्रियों के संबंध में वैधता की जांच हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम1956 के प्रावधानुसार करेंगे ।

6– राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ–7(1) कार्मिक (क–2) (95) दिनांक 08.04.03 के अनुसार दिनांक 01.06.02 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जावेंगे, किन्तु राज्य सरकार (डीओपी) के आदेश दिनांक 29.10.05 के अनुसार विधवा की नियुक्ति में यह प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

7– संलग्न सूचियों में अंकित अभ्यर्थियो के नियुक्ति आदेश राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक 7 (2)डीओपी/ ए–11/06 दिनांक 20.01.06 एवं वित (नियम डीविजन) विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 12 (6) एफ डी /रूल्स/06 दिनांक 13.03.06 के अनुसार प्रोबेशन ट्रेनिज के रूप में किया जा कर फिक्स रेमुनरेशन पर नियुक्ति अनुमोदन की जाती हैं ।

1/5/16

www.rajteachers.com

8– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, मंहगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा ।

9– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में राज्य बीमा,सामान्य प्रावधायी निधि आदि की कटौती नहीं होगी ।

10– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिये गणना योग्य नहीं माना जावेगा ।

11– परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में इन्हें कलेण्डर वर्ष में केवल 12 दिन का ही आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलेण्डर वर्ष से कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश अनुज्ञात किया जावेगा ।

12– प्रोबेशन ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से पेंशन अंशदान की कटौती नहीं होगी ।

13– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(2) कार्मिक/ए–II/ 2006 दिनांक 05.07.10 के अनुसार शैक्षणिक योग्यता प्राप्त होना चाहिये तथा उक्त नियमों के अन्तर्गत कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 21.09.10 के अनुसार मृतक आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अहर्ता नियुक्ति के पश्चात् एक वर्ष की अवधि में अर्जित करनी होगी।

14– लिपिक ग्रेड II के पद पर नियुक्ति अभ्यर्थी की टंकण परीक्षा अब अधिसूचना दिनांक 05.07.10 के अनुसार कम्प्युटर से ली जावेगी जिसे आश्रित को नियुक्ति के तीन वर्ष की अवधि में उर्त्तीण करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। इन्हे आगामी वेतन वृद्धि टंकण परीक्षा उत्तीण करने के पश्चात् ही देय होगी। कार्मिक (क–2) विभाग राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 07.09.09 के अनुसार मृत राज्य कर्मचारी की विधवा को टंकण परीक्षा करने से छूट दी जायेगी।

15– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अन्य निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करेंगे तथा **नियुक्ति अधिकारी मृतक आश्रित के अच्छे आचरण का सत्यापन सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक से करवाने के पश्चात ही आदेश जारी करेंगें ।**

16– राज्य सरकार की अधिसूचना एफ–5(51)डीओपी/ए–।।/88 पीटी जयपुर दिनांक 08.04.15 के अनुसार नियम–5 में हुए संशोधन की पालना सुनिशिचित करें।

17– यदि मृतक आश्रित प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है तो प्रथम प्राथमिकता प्रारंभिक शिक्षा के रिक्त पद पर दी जायेगी । रिक्त पद न होने पर जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही माध्यमिक शिक्षा में नियुक्ति आदेश जारी किये जा सकेगें।

18– माध्यमिक शिक्षा सेटअप में स्वीकृत स्टाफिंग पेटर्न के अनुसार ही पदस्थापन किया जाये।

चूकि विभाग में लिपिक ग्रेड II/सहायक कर्मचारी के लिए जिला शिक्षा अधिकारी नियुक्ति अधिकारी हैं अतः संलग्न सूची के अनुसार पदस्थापन आदेश 15 दिवस के भीतर जारी कर पदस्थापन आदेश 02 प्रतियों में इस कार्यालय को आवश्यक रूप से भिजवावें एवं आदेश की प्रति नोटिस बोर्ड पर चस्पा करेंगे ।

www.rajteachers.com

उक्त आदेश जारी कर दो प्रतियॉ उप शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, राज0 जयपुर, एक प्रति उप शासन सचिव कार्मिक (क–2) विभाग, शासन सचिवालय,राज0 जयपुर को एवं इस कार्यालय को भी भिजवाना सुनिश्चित करें ।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (सूची)

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/साप्र/ए–4/3901/नियुक्ति मूल/2016/ दिनांक : 13.05.16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

(1) उप सचिव (एम) मुख्य मंत्री सचिवालय,राज0जयपुर ।
(2) संयुक्त शासन सचिव–प्रथम, शिक्षा(ग्रुप–2)विभाग, राज0 जयपुर ।
(3) संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राज0 जयपुर ।
(4) निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राज0 बीकानेर ।
(5) उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा, ... को संलग्न सूची (लिपिक ग्रेड II तथा सहायक कर्मचारी के कुल) में उल्लेखित अभ्यार्थियों के आवेदन पत्र मूल में ही संलग्न कर निर्देशित किया जाता हैं कि रिक्त पदो के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी करवाकर पालना सुनिश्चित करावें ।
(6) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रथम)..... ।
(7) स्टाफ आफिसर, निजी अनुभाग ।
(8) अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग।
(9) रक्षित पत्रावली ।

(बी.एल. स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
निदेशकमाध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

www.rajteachers.com

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

सं. एफ. 5 (51) डीओपी/ए–II/88 पार्ट जयपुर, दिनांक: 25.04.2012

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ** .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2012 है।

(2) इन संशोधन नियमों का नियम 2 तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होगा और इन संशोधन नियमों का नियम 6 दिनांक 01.09.2006 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **नियम 2 का संशोधन** .– राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 के खंड (ख) में विद्यमान उप–खंड (ii) के स्थान पर तुरंत प्रभाव से निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" (ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से, जिसमें परिवीक्षाधीन–प्रशिक्षणार्थी के रूप में परिवीक्षा की कालावधि सम्मिलित है, कोई पद धारित कर रहा था। "

www.rajteachers.com

22/2012

3. **नियम 6 का संशोधन** .– उक्त नियमों के नियम 6 के उप–नियम (1) में, 01–09–2006 से,–

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान सं. 1 से 9क" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 1 से 10 (रू. 1300 से 2800/–)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

(ii) परन्तुक में, विद्यमान अभिव्यक्ति " वेतनमान सं. 10 से 11" के स्थान पर अभिव्यक्ति " ग्रेड वेतन सं. 11 से 12 (रू. 3200 से 3600/–)" प्रतिस्थापित की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(नलिनी कठोतिया)
शासन उप सचिव

www.rajteachers.com

22/2012

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 5(51)कार्मिक/क-2/88 जयपुर, दिनांक 31.12.96

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल, मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक आधारों पर भर्ती को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (i) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम, 1996 है ।

(ii) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- जब तक सन्दर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :-

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है तथा इसमें अन्य कोई ऐसा अधिकारी सम्मिलित है जिसे, सरकार द्वारा तुसंगत सेवा नियमों, यदि कोई हों, के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का पालन करने के लिए किसी भी विशेष या सामान्य आदेश द्वारा शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हों;

(ख) "मृत सरकारी कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित किया गया था और इसमें राजस्थान राज्य के संवर्ग का अखिल भारतीय सेवाओं का वह सदस्य भी सम्मिलित है जिसका वेतन राज्य की समेकित निधि के प्रति विकलनीय था और जिसकी सेवा काल के दौरान मृत्यु हो गयी थी और जो :-

(i) स्थायी था, या

(ii) नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् अस्थायी रूप से कोई पद धारण कर रहा था, या

(iii) अर्जेण्ट/अस्थायी नियुक्ति पर नियमित रिक्ति के प्रति नियुक्त किया गया था और जिसने इस रूप में एक वर्ष की निरन्तर सेवा कर ली थी ;

(ग) "आश्रित" से पति या पत्नी, पुत्र, अविवाहित या विधवा पुत्री, मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने जीवन काल के दौरान वैधरूप से गृहीत दत्तक पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है जो मृत सरकारी

...2

www.rajteachers.com

कर्मचारी पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतया आश्रित थे;

(घ) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;

(ङ) "विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष" से ऐसे विभाग/कार्यालय का अध्यक्ष अभिप्रेत है जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय सेवा कर रहा था/थी ;

(च) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ।

3. निर्वचन- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों के निर्वचन के लिए राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम सं. 8) उसी तरह लागू होगा जैसे वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है ।

4. विस्तार- ये नियम अनुकंपात्मक आधार पर, मृत सरकारी कर्मचारी के आश्रित की नियुक्ति को शासित करेंगे और ये किसी पद-विशेष के लिए कोई भी अधिकार प्रदान नहीं करेंगे ।

5. कतिपय शर्तों के अध्यधीन नियुक्ति- जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उन मामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी (या) कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री, दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य सरकार अथवा केन्द्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हों, के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वंय के लिए नियोजन प्राप्त करती है।

6. पदों का चयन-(1) आश्रित की, उसकी शैक्षिक अर्हताओं के अनुसार और सेवा की अन्य शर्तों की पूर्ति करने पर अधीनस्थ सेवाओं/ मंत्रालयिक सेवाओं/चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले केवल वेतनमान संख्या 1 से 9 तक के पदों पर, मृत कर्मचारी की रैंक और प्रास्थिति को विचार में लाये बिना, नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा ।

(2) इन नियमों के अधीन किसी पद पर एक बार नियुक्ति कर दिये जाने पर, इन नियमों के अधीन आश्रित प्रसुविधा उपभोग की गयी मानली जायेगी और मामले पर किन्हीं भी परिस्थिति में किसी अन्य पद पर नियुक्ति के लिए पुनः विचार नहीं किया जायेगा ।

...3

www.rajteachers.com

7. अर्हताएं- §1§ आश्रित के पास नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित अर्हताएं होनी चाहिए ।

§2§ चतुर्थ श्रेणी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार करते समय पद के लिए शैक्षिक अर्हताओं की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जायेगी ।

§3§ किसी आश्रित की नियुक्ति किये जाने से पूर्व, नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं का समाधान करेगा कि उसके चरित्र और शारीरिक योग्यता तथा संबंधित नियमों में विहित अन्य सामान्य शर्तों को देखते हुए, वह सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अन्यथा उपयुक्त है ।

8. आयु- आश्रित को नियुक्ति के समय संबंधित सेवा नियमों के अधीन के पद के लिए विहित आयु सीमा के भीतर होना चाहिए ।

परन्तुः-

§i§ किसी विधवा के लिए कोई ऊपरी §अधिकतम§ आयु सीमा नहीं होगी ।

§ii§ अन्य के लिए ऊपरी §अधिकतम§ आयु सीमा उस कालावधि में पांच वर्ष तक शिथिलनीय रहेगी या 40 वर्ष की आयु तक की जो भी कम हो, होगी ।

§iii§ आयु की संगणना करने के लिए निर्णायक तारीख, नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त करने की तारीख होगी । एक उपयुक्त पद की व्यवस्था करने में बीता समय आश्रित को निरर्हित नहीं करेगा यदि वह उस कालावधि के दौरान अधिकायु हो जाता है ।

9. प्रक्रियात्मक अपेक्षाएं आदि- प्रारंभिक नियुक्ति के समय चयन के लिए प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं, जैसे, प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा पर जोर नहीं दिया जायेगा । तथापि, आश्रित से 3 वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए हकदारी हेतु ऐसा प्रशिक्षण या विभागीय परीक्षा या टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी और ऐसा न होने पर उसकी नियुक्ति समाप्त होने के दायित्वाधीन होगी। जब तक वह ऐसी अर्हता अर्जित नहीं कर लेता है तब तक उसे कोई वार्षिक वेतनवृद्धि अनुज्ञेय अनुज्ञात नहीं की जायेगी । ऐसी अर्हताएं अर्जित करने पर उसे नियुक्ति की तारीख से काल्पनिक रूप से वेतन वृद्धियां अनुज्ञात की जायेंगी किन्तु कोई बकाया संदत्त नहीं की जायेगी।

टिप्पणः- इस नियम के प्रयोजनार्थ विभागाध्यक्ष अभ्यर्थियों की संख्या को विचार में लाये बिना प्रत्येक वर्ष ऐसी परीक्षा§टैस्ट§ आयोजित करेगा ।

www.rajteachers.com

10. प्रक्रिया-§1§ किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने पर उत्तर जीवी पति या पत्नी स्वंय को या किसी अन्य आश्रित को नियुक्ति के लिए आवेदन करेंगे ।

§2§ जहां मृत सरकारी कर्मचारी का कोई जीवित पति या पत्नी न भी हो, वहां मृत सरकारी के किसी भी आश्रित द्वारा आवेदन किया जायेगा और अन्य आश्रितों को उसकी अभ्यर्थिता के लिए अपनी सहमति देनी होगी : परन्तु यह कि आश्रितों में से एक से अधिक द्वारा नियोजन चाहा जाये तो विभागाध्यक्ष संपूर्ण परिवार, विशेष कर अवयस्क सदस्यों के समग्रहित और कल्याण को देखते हुए किसी एक का चयन करेगा ।

§3§ ऐसा आवेदन उपाबन्ध "क" के रूप में संलग्न प्ररूप में मृत सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 45 दिन के भीतर विभागाध्यक्ष को किया जायेगा । अभ्यर्थी आवेदन के स्तंभ 7 में उल्लिखित परिवार के सभी सदस्यों की मासिक आय§सभी स्त्रोतों से§ के समर्थन में एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा ।

§4§ अखिल-भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान लेखा सेवा, राजस्थान विधिक राज्य एवं अधीनस्थ सेवा और राजस्थान आर्थिक एवं सांख्यिकी सेवा आदि के मामलों में जहां अधिकारी सरकार के विभिन्न विभागों में पदस्थापित किये जाते हैं, आवेदन उस विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से उस सेवा को नियन्त्रित करने वाले प्रशासनिक विभाग को किये जायेंगे जहां मृत सरकारी कर्मचारी अपनी मृत्यु के समय पद-स्थापित था ।

§5§ प्रशासनिक विभाग का यह दायित्व होगा कि वह आश्रितों को अपने स्वयं के विभाग में नियुक्ति दे और किसी भी दशा में इस दायित्व को अन्य विभाग को स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा ।

§6§ उपयुक्त पद रिक्त न होने की दशा में नियोजन उपलब्ध कराने के लिए आवेदन "पहले आए पहले पाए" के आधार पर प्रतीक्षा सूची में रखे जायेंगे यदि निम्नतर वेतनमान में को कोई पद तुरन्त उपलब्ध हो तो उक्त निम्नतर पद का आवेदक को प्रस्ताव किया जा सकता है और आवेदक के लिए यह विकल्प होगा कि वह या तो आवेदित पद के लिए प्रतीक्षा करे या उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करे । यदि आवेदक उपलब्ध निम्नतर पद स्वीकार करता है तो वह आवेदित उच्चतर पद के लिए अपना दावा खो देगा और उसका नाम प्रतीक्षासूची में नहीं रखा जायेगा। परन्तु यदि आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर नियुक्ति

www.rajteachers.com

के लिए कोई पद उपलब्ध नहीं होता है तो मामला अन्य विभाग में नियुक्ति के लिए कार्मिक विभाग को निर्देशित किया जायेगा ।

(7) राज्य संवर्गों वाली सेवाओं, जैसे कार्मिक विभाग द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय सेवाओं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा, राजस्थान सचिवालय सेवा, के सदस्यों की मृत्यु की दशा में, आवेदन सचिव, कार्मिक विभाग को किया जायेगा और यह कार्मिक विभाग का दायित्व होगा कि वह किसी उपयुक्त पद की व्यवस्था करे ।

11. अध्यारोही प्रभाव- इन नियमों के प्रारंभ के समय प्रवृत्त किन्हीं नियमों, विनियमों या आदेशों में अन्तर्विष्ट किसी विपरीत बात के होते हुए भी, ये नियम और इनके अधीन जारी किये गये कोई आदेश प्रभाव में रहेंगे ।

12. नोडल विभाग- कार्मिक (क-2) विभाग इन नियमों को प्रशासित करने के, प्रयोजनार्थ नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा और वह ऐसा कोई सामान्य या विशेष आदेश कर सकेगा जो वह इन नियमों के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक या समीचीन समझे ।

13. शंकाओं का निराकरण- यदि इन नियमों के लागू करने, निर्वचन और विस्तार संबंधी कोई शंका उत्पन्न हो तो उसे सरकार के कार्मिक(क-2) विभाग को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

14. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति- राज्य सरकार किसी कठिनाई के निराकरण के प्रयोजनार्थ (उसकी विद्यमानता के लिए जिसके लिए वह एक मात्र निर्णायक है) इन नियमों के किसी उपबन्ध के क्रियान्वयन के लिए ऐसा कोई साधारण या विशेष आदेश दे सकेगी जैसा वह खरे व्यौहार के हित में या लोक हित में आवश्यक या समीचीन समझे ।

15. निरसन एवं व्यावृत्ति- विद्यमान राजस्थान सेवा काल के दौरान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों की भर्ती नियम, 1975 और उनके अधीन जारी किये गये किसी भी आदेशों को इसके द्वारा निरसित किया जाता है:

repealed / Superseded

परन्तु इस प्रकार निरसित/अतिष्ठित किये गये नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्यवाही इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की हुई समझी जायेगी ।

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

(सूरजमल कैडवाल)
उप शासन सचिव

सुघड़/-

www.rajteachers.com

55/96

आवेदन –पत्र का प्रारूप

भाग–1

1. मृतक राज्य कर्मचारी का नाम व पद
2. निधन की दिनांक एवं स्थान (मृत्यु प्रमाण–पत्र संलग्न करें)
3. विभाग का नाम जिसमें वह मृत्यु के समय कार्यरत था
4. मृत्यु के समय धारित पद तथा उसका वेतनमान
5. नियुक्ति का प्रकार : (स्थाई / अस्थाई)
6. राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति का दिनांक
7. मृतक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का विवरण :– (केवल परिवार के सदस्यों के ही नाम लिखे जायें)-

क.सं.	नाम	मृतक से संबंध	जन्म दिनांक एवं आयु	शैक्षणिक योग्यता	विवाहित / अविवाहित	मासिक आय * रूपये
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

* नियम 10(3) में यथा विर्णित शपथ–पत्र संलग्न करे ।

भाग–2

राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले आश्रित का विवरण –

आवेदक की फोटो

1. नाम
2. आयु एवं जन्मतिथि
3. शैक्षणिक योग्यता (प्रमाण–पत्र सलग्न करें)
4. मृतक राज्य कर्मचारी से संबंध
5. आवेदित पद का नाम व वेतनमान

स्थाई पता :–

आवेदक के हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

भाग – 3

यदि आवेदक विधवा स्वयं नही है तो विधवा / अन्य आश्रितों की सहमति

मैने आवेदन के भाग (1) व (2) में उल्लिखित सूचना पढ़ ली हैं। भली प्रकार सुन ली हैं। आवेदक को नोकरी दिये जाने हेतु मेरी / अन्य आश्रितों की सहमति हैं। जिसके समर्थन में मेरा / अन्य आश्रितों का घोषणा पत्र संलग्न हैं।

विधवा के हस्ताक्षर

साक्ष्य : 1.
2.

भाग – 4

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता हैं कि :–

(1) आवेदन पत्र विभाग में दिनांक..... को प्राप्त हुआ है जो कि डायरी संख्या .... दिनांक ..... पद दर्ज हैं।

(2) आवेदन पत्र में अंकित सूचनायें मृतक कर्मचारी के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है । नियमों के अनुसार आवेदक आवेदित पद .....पद नियुक्ति का पात्र हैं।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

भाग–5

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र यदि आवेदन पत्र अन्य विभाग को भेजा जाना है

प्रमाणित किया जाता है कि –

(1) आवेदक आवेदित पद पर नियुक्ति का पात्र है किन्तु यह पद..... ..... विभाग में नही हैं। अतः आवेदन पत्र..... को अग्रषित किया जा रहा हैं।

(2) मृतक कर्मचारी के नियम के पश्चात् आज तक उसके स्थान पर किसी भी आश्रित को किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं दी गई हैं।

हस्ताक्षर विभागाध्यक्ष
(मय कार्यालय सील)

आवेदक का प्रमाण–पत्र

मैं प्रमाणित करता हुँ कि आवेदन पत्र के भाग (1) व (2) में वर्णित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं। यदि भविष्य में कोई भी तथ्य असत्य पाया जावे तो मेरी सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी ।

आवेदक के हस्ताक्षर

साक्ष्य : 1
2

www.rajteachers.com